

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2506
(09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत लंबित बकाया राशि

2506. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी:

श्री बेल्लाना चंद्रशेखर:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री तालारी रंगैय्या:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली कोई राशि बकाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश को सामग्री और प्रशासनिक संघटक हेतु मनरेगा के अंतर्गत 3,707.77 करोड़ रुपए की लंबित राशि शीघ्र जारी करने हेतु कोई निर्देश जारी किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय समय-समय पर दो भागों में धनराशि जारी करता है, जिसमें प्रत्येक भाग में श्रम बजट के लिए हुई "सहमति", आरंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, पिछले वर्ष की लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, और समग्र निष्पादन पर आधारित एक या एक

से अधिक किस्तें शामिल होती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (02.03.2021 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई निधियों का ब्योरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी किया जाना महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि यह योजना मांग आधारित कार्यक्रम है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 819477.81 लाख रुपये जारी किए हैं जिसमें 244643.58 लाख रुपये की राशि सामग्री और प्रशासनिक घटक के रूप में शामिल है।

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 के दौरान (02.03.2021 तक) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय निधि

(रु.लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय निधि
1	आंध्र प्रदेश	819477.81
2	अरुणाचल प्रदेश	28341.43
3	असम	182510.06
4	बिहार	552341.72
5	छत्तीसगढ़	315141.38
6	गोवा	91.34
7	गुजरात	121487.28
8	हरियाणा	62643.13
9	हिमाचल प्रदेश	90880.32
10	जम्मू और कश्मीर	95671.37
11	झारखंड	292681.54
12	कर्नाटक	513449.63
13	केरल	333942.21
14	मध्य प्रदेश	766901.77
15	महाराष्ट्र	123479.24
16	मणिपुर	82123.10
17	मेघालय	119172.92
18	मिजोरम	55564.41
19	नागालैंड	48382.14
20	ओडिशा	443697.99
21	पंजाब	98440.95
22	राजस्थान	752685.70
23	सिक्किम	9389.79
24	तमिलनाडु	785696.87
25	तेलंगाना	354758.38
26	त्रिपुरा	113782.96
27	उत्तर प्रदेश	997549.58
28	उत्तराखंड	82965.74
29	पश्चिम बंगाल	991342.64
30	अंडमान और निकोबार	485.89
31	दादरा और नगर हवेली	0.00
32	दमन और दीव	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00
34	पुदुचेरी	2579.72
कुल		9237659.00